संख्या:36/2024/830ई-2/तेरह-2024-229956

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 अक्टूबर, 2024

विषय:-मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., डिस्टिलरी यूनिट रानीनांगल, मुरादाबाद को केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल उत्पादन किये जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-53/दो-प्रा.डी.-277/रानीनांगल आसवनी, दिनांक 19-09-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 19-09-2024 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., डिस्टिलरी यूनिट, रानीनांगल, जनपद मुरादाबाद को शीरे के अतिरिक्त केन जूस/सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. इकाई को आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश की अनापत्ति संख्या 45/शोध एवं समन्वय/एथनॉल दिनांक, 05.03.2024 में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. इकाई को तथा शासनादेश संख्या 18/2021/524 ई-2/तेरह-2021-23/2009, दिनांक 23.02.2021 में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
3. इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट टू आपरेट दिनांक 03.04.2024 द्वारा निर्गत जल एवं वायु सहमति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
4. आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में अनुमति निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इकाई पर कोई राजस्व बकाया न हो।
5. इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) एवं भारतीय मानक ब्यूरो(बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**दुर्गा सिंह**)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in